संपादन किया जा रहा है।

आज्ञप्तिधारी द्वारा श्री राजकुमार [illegible]

अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

निणितत्रहणी क.1 व 2 अनुपस्थित।

निणितत्रहणी क.3 द्वारा श्री आर डी गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

पूर्व उपस्थिति को देखते हुए कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रकरण हिसाब प्रस्तुति हेतु नियत है।

हिसाब प्रस्तुत नहीं।

प्रकरण हिसाब प्रस्तुति हेतु दिनांक 5-1-2021 को पेश हो।

(तपेश कुमार दुबे )
द्वितीय अपर जिला न्याया0,
खंडवा म.प्र.

05-01-2021

कोविड–19 (कोरोना वायरस) से फैली वैश्विक महामारी के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रो अनुसार सिमित कार्य व्यवस्था लागू है तथा मात्र अत्यावश्यक कार्य का संपादन किया जा रहा है।

आज्ञप्तिधारी द्वारा श्री राजकुमार कानूनगो अधिवक्ता कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी मापदंडो की पूर्ति करते हुए उपस्थित।

निणितत्रहणी क.1 व 2 अनुपस्थित।

निणितत्रहणी क.3 द्वारा श्री आर डी गुप्ता अधिवक्ता कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी मापदंडो की पूर्ति करते हुए उपस्थित।

प्रकरण हिसाब प्रस्तुति हेतु नियत है।

आज्ञप्तिधारी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उन्हें संपूर्ण डिक्रीधन प्राप्त हो चुका है तथा और कोई राशि लेना शेष नहीं है और यह आज्ञपित पूर्ण संतुष्टि में

सम्पूर्ण राशि प्राप्त
संतुष्टि में प्रकरण
निरस्त किया

# Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

EXCA | Case No. 11/2020 of 20 ..............

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| | निरस्त किये जाने का निवेदन करते हुए आदेश पत्रिका के दाये हासिये में उक्त आशय कि टीप अंकित की।<br>निर्णित ऋणी क्र.3 ने भी व्यक्त किया कि उनके द्वारा संपूर्ण धन अदा कर दियागया है इसलिए आज्ञप्ति पूर्ण संतुष्टि में निरस्त की जावे ।<br>सुना गया आज्ञप्तिधारी द्वारा जितनी राशि के संबंध में यह आज्ञप्ति प्रस्तुत की है उतनी राशि की गणना कर अनावेदक क.3 ने डिक्रीधन अदा कर दिया है।<br>आज्ञप्तिधारी अधिवक्ता ने डिक्री पूर्ण संतुष्ट होना बताया है। अतः यह आज्ञप्ति पूर्ण संतुष्टि में निरस्त की जांती है।<br>परिणाम दर्ज कर सी आई एस में इन्द्राज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।<br><br>5/1/21<br>(ब्रजेश कुमार दुबे)<br>द्वितीय अपर जिला न्याया0,<br>खंडवा म.प्र. | |